न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ ववल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 37 / 13 दायरा दिनांक 19.06.
2013

1. किशनलाल पुत्र हटीला उम्र 55 वर्ष जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. रमेश पुत्र हटीला उम्र 35 वर्ष जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. गिन्नी पुत्री हटीला उम्र 65 वर्ष जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. गोमा पुत्री हटीला उम्र 58 वर्ष जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
5. जानकी पुत्री हटीला उम्र 45 वर्ष जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
6. मोत्यां पुत्री हटीला उम्र 40 वर्ष जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
7. रबूदी पुत्री हटीला उम्र 38 वर्ष जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–वादीगण

बनाम

1. जानकीलाल पुत्र खच्चू जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
2. मुरारी पुत्र खच्चू जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. नेमी पुत्र खच्चू जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. हुकमचन्द पुत्र खच्चू जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
5. गजिया पुत्री खच्चू जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
6. चिन्जो पुत्री खच्चू जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
7. सूमत पुत्री खच्चू जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
8. मुन्नी वेबा खच्चू जाति चंमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
9. पन्चू पुत्र नत्थू जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
10. रतनी पुत्री नत्थू जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
11. सूमत पुत्री नत्थू जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
12. आनन्दी वेबा नत्थू जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
13. भंवरू पुत्र कडोरी जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान (मृतक)

13 / 1–हीरा पुत्री भंवरू पत्नि भोगीलाल जाति चमार निवासी हाल केलवाडा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

13 / 2–कारी पुत्री भंवरू पत्नि दोज्या पुत्री भंवरू पत्नि भोगीलाल जाति चमार निवासी हाल गांजन तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

13 / 3–भग्गो पुत्री भंवरू पुत्री भंवरू पत्नि भोगीलाल जाति चमार निवासी हाल भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

13 / 4–सुमत पुत्री भंवरू पत्नि कैलाश पुत्री भंवरू पत्नि भोगीलाल जाति चमार निवासी हाल देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

14. गब्बू पुत्र कडोरी जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

Scanned by CamScanner

15.नंदा पुत्र कडोरी जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान (मृतक)

15/1–हजारी पुत्र नंदा जाति चमार निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

15/2–पप्पू पुत्र नंदा जाति चमार निवासी मानपुर तहसील बम्बौरी जिला गुना म.प्र.

15/3–कला पुत्री नंदा पत्नि कोमल जाति चमार निवासी हाल गणेशपुरा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

15/4–रज्जो पुत्री नंदा पत्नि जानकीलाल निवासी हाल बीठलपुर तहसील बम्बौरी जिला गुना म.प्र.

15/5–विजय पुत्री नंदा पत्नि पप्पू जाति चमार निवासी हाल बीलखेडामाल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

16.रामेश्वरीदेवी पत्नि मोहनलाल जाति बलाई निवासी साउथ राजेन्द्र पथ झोटवाडा जयपुर राजस्थान

17.राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92ए,183,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अन्तिम निर्णय–दिनांक 17.03.2020

उपस्थित– 1. श्री हेमराज नामदेव अभिभाषक (वादी)
2. एकपक्षीय (प्रतिवादी कम 1 लगायत 16)
3. पैरोकार सरकार (प्रतिवादी कम 17)

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम अहीर पहाडी उर्फ अमरपुरा पटवार क्षेत्र राजपुर तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा नम्बर 82/118 रकबा 10.12 बीघा किस्म डांडा स्थित है, विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में प्रतिवादीकम 1 लगायत 8 के नाम हिस्सा 1/4, प्रतिवादीकम 9 लगायत 12 के नाम हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादीकम 13, 14 व 15 के नाम हिस्सा 1/2 से खाता दर्ज है। उक्त आराजी के मूलखातेदार वादीगण के पिता हटीला, प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 के पितामह घसीटा तथा प्रतिवादीकम 13, 14 व 15 के पिता कडोरी हिस्सा बराबर से रहे हैं और उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड सेटलमेन्ट जमाबन्दी में तीनो ही मूल खातेदार कडोरी बल्द कूंगरमल व घसीटा हटीला बल्द नानजी के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज है, वर्तमान में तीनो ही मूल खातेदारान की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से मूल खातेदार घसीटा की मृत्यु पश्चात खोले गये फौती नामान्तरण नम्बर 18 के पश्चात बनाई गई रोटेशन जमाबन्दी सम्वत 2025–28 में विवादित आराजी खाते से वादीगण के पिता हटीला का नाम सर्वथा अवैधानिक एवं अनुचित तरीके से हटाकर विवादित आराजी फर्जी तरीके से प्रतिवादीकगम 13, 14 व 15 के पिता कडोरी बल्द कूंगरमल के नाम हिस्सा 1/2 से तथा प्रतिवादीकम 1 लगायत 8 के पिता खच्चू व प्रतिवादीकमं 9 लगायत 12 के पिता नत्थू के नाम हिस्सा 1/2 से दर्ज कर दी। दिनांक 25/02/2013 को के.सी.सी.बनवाने हेतु विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी हल्का पटवारी से प्राप्त करने पर वादीगण को इस बात का ज्ञान हुआ कि वादीगण के पिता हटीला का नाम षडयन्त्रपूर्वक खाते से हटा दिया गया है, तब वादीगण ने प्रतिवादीकम 1 लगायत 15 से विवादित आराजी में नियमानुसार अपना हिस्सा 1/3 पिता हटीला के स्थान पर नाम दर्ज कराने को कहा तो प्रतिवादी 1 लगायत 15 टालमटूल करते रहे और बदनियतिपूर्वक बाला–बाला वर्तमान जमाबन्दी में फर्जी एवं गलत इन्द्राज हिस्सानुसार प्रतिवादी 1 लगायत 8 ने हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी 9 लगायत 12 ने हिस्सा 1/4 का दिनांक 04.06.2013 को तथा प्रतिवादीकम 14 ने हिस्सा 1/2 का 1/3 अर्थात हिस्सा 1/6 का बेचान दिनांक 05.06.2013 को प्रतिवादीकम 16 के हक में कर विकयपत्र पंजीयन करा दिया, जबकि नियमानुसार विवादित आराजी में प्रतिवादी 1 लगायत 8 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी 9 लगायत 12 का हिससा 1/6 तथा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीक्रम 14 का हिस्सा 1/9 मात्र निहित है, जिसे वे विधि अनुसार विक्रय अथवा अन्तरित करने के हकदार थे। विवादित आराजी बावत प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 12 व 14 द्वारा निष्पादित विक्रयपत्र दिनांक 04 व 05.06.2013 अपने निहित हिस्से से अधिक भूमि विक्रय करने के कारण वादीगण के वैधानिक हक हकूकों के मुकाबले बेअसर व प्रभावशून्य है, उपरोक्त फर्जी विक्रयपत्र की आड में प्रतिवादीगण मिलकर वादीगण को अपनी विवादित हिस्सा आराजी 1/3 से बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं, दिनांक 12.06.2013 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को विवादित हिस्सा आराजी से बेदखल करने की धमकी दी है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है, इस कारण वादीगण उक्त विवादित आराजी में अपने हिस्सा 1/3 बावत खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर विभाजन करा पृथक से खाता दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही विभाजन में प्राप्त हिस्सा आराजी पर विरूद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने के हकदार हैं, इत्यादि।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बाद में प्रतिवादीक्रम–1 लगायत 16 स्वयं तथा उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, जिनकी ओर से कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी क्रम–17 पैरोकार सरकार ने जबाव पेश कर वादपत्र की मद क्रमांक 1,2,3,4 को मुताबिक रिकार्ड सही होना स्वीकार कर जमाबन्दी सम्बत 2025–2028 में सहखातेदार हटीला का नाम हटाये जाने को भारी भूल मानते हुये प्रतिवादी 1 लगायत 15 द्वारा प्रतिवादीक्रम 16 को अपने हिस्से से अधिक आराजी बेचान करना स्वीकार किया है। जबाव वादपत्र के अनुकूल होने से एवं प्रतिवादीक्रम 1 लगायत 15 की ओर से कोई जबाव प्रस्तुत नहीं होने के कारण कोई तनकी बनाया जाना उचित नहीं पाये जाने से पत्रावली में वादी की साक्ष्य लेखबद्व की गई, वादीगण की ओर से पी.डब्ल्यू–1 किशनलाल तथा पी.डब्ल्यू–2 रमेश के बयान दर्ज कराये गये और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम अहीरपहाडी तहसील शाहाबाद की नकल जमाबन्दी खाता संख्या 25 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सैटलमेन्ट खाता संख्या 30 प्रदर्श–2, ग्राम अहीरपहाडी के नामान्तरण नम्बर 18 की नकल प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 6 सम्वत 2025–28 प्रदर्श–4, नकल नोटिस 80 सी.पी.सी. प्रदर्श–5, डाक रसीद प्रदर्श–6, विक्रयपत्र दिनांक 04/06/2013 प्रदर्श–7 तथा विक्रयपत्र दिनांक 05/06/2013 प्रदर्श–8 पेश किये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट प्रदर्श–2 में विवादित आराजी खसरा संख्या 82/118 रकबा 10.12 बीघा करोडी वल्द कूंगरमल घसीटा हटीला वल्द नानजी कौम चमार साकिन राजपुर हिस्सा बराबर से दर्ज हैं, नकल नामान्तरण नम्बर 18 प्रदर्श–3 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि यह नामान्तरण खातेदारान कडोरी बल्द कूंगरमल घसीटा हटीला बल्द नानजी हिस्सा बराबर में से घसीटा की विरासत बावत दर्ज किया गया है, जो खातेदार घसीटा के मृतक पुत्र रमुआ के पुत्रान खच्चू व नत्थू के नाम तस्दीक किया गया है, प्रस्तुत नकल जमाबन्दी प्रदर्श–4 में नामान्तरण नम्बर 18 के अमल का नोट अंकित है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है इस जमाबन्दी में सेटलमेन्ट खातेदार कडोरी बल्द कूंगरमल का नाम यथावत है, घसीटा के स्थान पर खच्चू व नत्थू का नाम दर्ज है, परन्तु खातेदार हटीला का नाम अंकित नहीं किया गया है, इस प्रकार खातेदार हटीला का नाम जमाबन्दी प्रदर्श–4 में क्यों अंकित नहीं किया गया, इसका कोई युक्तियुक्त कारण मौजूद नहीं है और खातेदार हटीला का नाम विवादित आराजी खाते से हटाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, स्वयं प्रतिवादीक्रम 17 पैरोकार सरकार द्वारा जमाबन्दी प्रदर्श–4 से सहखातेदार हटीला का नाम हटाये जाने को भारी भूल बतलाया है, प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट प्रदर्श–2 नकल नामान्तरण नम्बर 18 प्रदर्श–3 से विवादित आराजी में खातेदार हटीला का हिस्सा 1/3 निहित होना स्पष्ट साबित है, इस आधार पर

Scanned by CamScanner

मृतक हटीला के वारिसान होने से वादीगण का विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा निहित होना भलिभांति साबित होता है।

चूंकि उक्त विवादित भूमि के सेटलमेन्ट खातेदार कडोरी वल्द कूंगरमल हटीला घसीटा वल्द नानजी हिस्सा बराबर से दर्ज रहे हैं, इस आधार पर मृतक कडोरी के वारिसान 13/1 लगायत 13/4, 14 व 15/1 लगायत 15/5 का हिस्सा 1/3, घसीटा वल्द नानजी के वारिसान प्रतिवादी 1 लगायत 12 का हिस्सा 1/3 तथा शेष 1/3 हिस्सा वादीगण के पिता हटीला वल्द नानजी का निहित होना पाया जाता है, इस आधार पर विवादित आराजी में प्रतिवादीकम 1 लगायत 12 का सम्मिलित हिस्सा 1/3 था, इसके बावजूद प्रतिवादी 1 लगायत 12 ने 1/3 के स्थान पर हिस्सा 1/2 का विक्रयपत्र प्रदर्श–7 प्रतिवादीकम 16 के हक में दिनांक 04.06.2013 को पंजीयन करा दिया है, जो वादीगण के निहित हक व अधिकारों के मुकाबले बेअसर तथा प्रभावशून्य होना पाया जाता है, इसी प्रकार प्रतिवादीकम 14 ने विवादित आराजी में से हिस्सा 1/2 का 1/3 का विक्रय प्रतिवादीकम 16 के हक में दिनांक 05.06.2013 को प्रदर्श–8 के जरिये कर दिया है, जबकि मूल खातेदार कडोरी का हिस्सा 1/3 दर्ज होने से कडोरी के वारिसान प्रतिवादीकम 13, 14 व 15 का संयुक्त हिस्सा 1/3 निहित होने से प्रतिवादीकम 14 का विवादित आराजी में महज 1/3 का 1/3 अर्थात 1/9 हिस्सा ही निहित है, इस कारण उक्त विक्रय वादीगण के हक व अधिकारों के मुकाबले बेअसर तथा प्रभावशून्य होना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद दिनांक 31.12.2019 को स्वीकार किया जाकर इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी की गई कि विक्रयपत्र कमशः प्रदर्श–7 तथा प्रदर्श–8 को वादीगण के हक व अधिकारों की हद तक बेअसर तथा प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 82/118 रकबा 10.12 बीघा ग्राम अहीर पहाडी पटवार हल्का राजपुर तहसील शाहाबाद के हिस्सा 1/3 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा वादीगण हिस्सा 1/3 का अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी सिद्वान्त के आधार पर विभाजन किया जाता है, जिसकी पालना में तहसीलदार शाहाबाद द्वारा दिनांक 17.03.2020 को विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे बाद अवलोकन वादीगण द्वारा सही होना स्वीकार किया गया।

आदेश

अतः तहसीलदार शाहाबाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 82/118 रकबा 10.12 बीघा ग्राम अहीरपहाडी पटवार हल्का राजपुर तहसील शाहाबाद में से दक्षिणी हिस्सा 1/3 रकवा 3.10 बीघा को पृथक से वादीगण के नाम खाता दर्ज कर राजस्व रिकार्ड नक्शे में अंकित किया जावे तथा उत्तरी हिस्सा 2/3 का पृथक से खाता कायम किया जाकर प्रतिवादी कम 13/1 ता 13/4 के नाम हिस्सा 1/4, प्रतिवादी कम 15/1 ता 15/5 के नाम हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी कम 16 के नाम हिस्सा 1/2 से दर्ज किया जावे। तदानुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned by CamScanner